17-7-18

पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादीगण के वकील को रुक-रुक कर बार-बार आवाज लगाई गई। वादीगण एवं उनके वकील उपस्थित नहीं है। अतः वाद वादीगण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर चक्र के रूप में दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा